न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(परशुराम धानका, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 35 / 2020

प्रविष्टि दिनांकः— 23.12.2020

1—सत्यनारायण पुत्र श्री मोहन लाल जाति सुनार (सोनी) निवासी कुहाडा बुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह हाल निवासी जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर

2—कैलाशचन्द पुत्र श्री मोहन लाल जाति सुनार (सोनी) निवासी कुहाडा बुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह हाल निवासी जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर

3—रामेश्वरी पुत्री श्री मोहनलाल सोनी पत्नि श्री ओमप्रकाश सोनी निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा (मृतक)

3/1 बबलु सोनी पुत्र श्री ओमप्रकाश सोनी निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा

3/2 गणेश सोनी पुत्र श्री ओमप्रकाश सोनी निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा

.... अपीलाण्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू—अभिलेख टोडारायसिंह जिला टोंक

.... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार टोडारायसिंह प्रकरण सं0 173/2019 निर्णय दिनांक 11.12.2020

उपस्थितः (1) श्री रामेश्वर गुर्जर, अभिभाषक अपीलाण्ट्स

(2) श्री मजहर आलम, पेरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 28.06.2022

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि अपीलांट्स के पिता मोहनलाल पुत्र छोटूलाल जाति सुनार को आवंटन सलाहकार समिति तहसील टोडारायसिंह द्वारा तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए प्रचलित कृषि भूमि आंवटन नियम 1956 के अन्तर्गत दिनांक 20.05.1965 को आराजी खसरा नम्बर 2134 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कुहाडा बुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह मे आवंटित की गई थी। जिस पर अपीलांट के पिता आवंटन दिनांक तक काबिज काश्त चले आ रहे थे एंव उनके देहान्त दिंनाक 19.02.1998 के बाद अपीलांट्स का कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है। आवंटन भूमि पर दिंनाक 16.06.1965 को ही 5 रूपये पट्टा फीस भी वसूल की जाकर आवंटन आज्ञा जारी कर दी गई थी। आवंटित भूमि पर अपीलांट्स के पिता का कब्जा निरन्तर चलता रहा लेकिन दिनांक 20.07.1970 को कुहाडा बुजुर्ग के जाटान जाति के व्यक्तियो राचन्दा पुत्र हरला श्योकरण, चतु... पुत्र रायचन्दा ने जबरन झगडा फसाद करते हुए अपीलांट के पिता को

अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

खेती नही करने देने के उपरान्त अपीलांट्स के पिता ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के समक्ष प्रस्तुत करने पर वाद का निर्णय दिंनाक 24.09.1975 को अपीलांट्स के पिता के पक्ष मे डिक्री हुआ एंव अप्रार्थी रायचन्दा वल्द हरला वगै0 को स्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद किया गया कि उपर्युक्त विश्लेषण से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि खसरा नम्बर 2134 ग्राम कुहाडा बुजुर्ग वादी की अलाट शुदा भूमि है और जिस पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा है। अतः इस खसरा नम्बर पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है। कब्जा वादी को वापस दिया जाये। साथ में प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वह वादी की कब्जे की उक्त भूमि खसरा नं. 2134 में किसी प्रकार मजाहमत न करें और कोई बाधा नहीं पहुंचाये। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.09.1975 को सरे इजलास सुनाया गया। अपीलान्टस के पिता को खसरा नम्बर 2134 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि जो सिवायचक लगानी थी का आवंटन दिनांक 20.05.1965 को किया गया था एवं कानून के अंतर्गत अलॉटी को प्रथम वर्ष में 1/2 हिस्सा एवं द्वितीय वर्ष में शेष 1/2 हिस्सा काश्त करने की शर्त दर्ज होती है। इस तरह दिनांक 20.05.1966 (एक वर्ष) एव 20.05.1967 (द्वितीय वर्ष) की काश्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी थी एवं उस दौरान अपीलान्ट के पिता का कब्जा काश्त सक्रिय रूप से चला आ रहा था। तत्पश्चात् दिनांक 21.07.1970 यानि आवंटन दिनांक 20.05.1965 यानि 5 वर्ष 2 माह के बाद (1) रायचन्दा वल्द हरला, (2) शोकरण पुत्र रायचन्दा (3) चतुर्भुज पुत्र रायचन्दा (4) रंगलाल पुत्र रायचन्दा पिसरान मु0 रामनाथ अकौम जाटान साकिन कुहाडाबुजुर्ग ने नाजायज अतिक्रमण करने के प्रयास करने पर एक राजस्व वाद संख्या 55 सन् 1970 रजू दिनांक 21.07.1970 प्रस्तुत करने पर अपीलान्टस के पिता मोहनलाल के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश एवं डिक्री दिनांक 24.09.1975 को पारित हो गई। उक्त आदेश की रायचन्दा, शोकरण, चतुर्भुज, रंगलाल ने अपील नहीं की, लिहाजा उक्त आदेश अन्तिम होकर आज भी प्रभावी है। इसके बावजूद अपीलान्टस के पिता को आवंटित भूमि की गैर खातेदारी का नामान्तकरण दिनांक 25.04.1968 को भरकर दि0 26.04.1968 को बिना सुनवाई एवं नोटिस के मात्र गिरदावर, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया एवं जो गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 25.04.1968 को अंकित की गई जो निम्न प्रकार थी– " दौरान असल रिकार्ड मिसल में सुपुर्दनामा शामिल नहीं है। अलॉटी ने मौके पर कब्जा नहीं किया है काबिले इखराज है।" उपरोक्त टिपपणी सद्भावी न होकर दुर्भावना से अंकित की गई है क्योंकि वास्तविक रूप से मुकदमा संख्या 55/70 दिनांक 21.07.1970 से 24.09.1975 की रोशनी में कब्जा माना जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह ने अपने निर्णय प्रकरण संख्या 173/19 दिनांक 11/12/2020 में पुनः यह अंकित कर दिया कि खसरा नम्बर 2134 से 507 नहीं बना है एवं साथ ही यह भी अंकित कर दिया कि रिकार्ड में दर्ज काश्तकारों से रिकार्ड से हटाये बना अपीलान्टस के नाम भूमि दर्ज नहीं की जा सकती एवं केवल इसी आधार पर अपील अपीलान्टस खारिज कर दी। अपीलान्टस के पिता को भूमिहीन होने के नाते वरीयता के आधार पर भूमि दि. 20.05.1965 को खसरा नम्बर 2134 में आवंटित की गई थी उसके नम्बर क्या बने, कैसे बने, यह महत्वपूर्ण नही है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या अलॉटी के साथ न्याय किया गया। अगर वर्तमान तहसीलदार यह कहकर गैर खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकार नहीं करना चाहते कि उपरोक्त जमीन पर किसी का अतिक्रमण है यह दलील राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश साधुराम व अन्य बनाम स्टेट व अन्य, SB civil Writ Petition 1066 & 1075 of 2001 decided on 30 August 2001 के अन्तर्गत rank trespasser को अनुचित लाभ दिये जाने की जो चेष्टा की है एवं आवंटी जो वर्ष 1975 के पहले से काबिज काश्त होकर गैर खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकार कराना चाहता है, इस

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

प्रकरण को तहसीलदार मैरिट पर निर्णय न कर अतिकर्मियों को अनुचित लाभ देने की गरज से दिनांक 19.07.2019 को निर्णय पारित करने का दोषी है जिसे निर्णय की बॉडी लैंग्वेज के आधार पर निरस्त किया जाना आवश्यक है।

राजस्व मण्डल अजमेर ने राजू बनाम आमजनता सहजपुर व अन्य (208), अपील संख्या 110 करौली/ 98 निर्णय दिनांक 02 मार्च 2001 में पारित निर्णय का भी अधीनस्थ तहसीलदार ने उल्लंघन किया है एवं उक्त अपास्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त निर्णय में निर्णय के पैरा नम्बर 7 व 9 इस प्रकार है:–'' (7) अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क से हम सहमत है कि केवल तकनीकी कारणों से लम्बे समय पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। इस तर्क को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों का यह तर्क अस्वीकार किया जा सकता है कि आवंटन के समय पटवारी द्वारा रिपोर्ट पूर्ण रूप से नहीं की गयी थी अथवा सरसरी तौर पर की गयी थी। यह एक तकनीकी कारण है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पारित निर्णय दिं0 11.12.2020 से अपीलांट्स व्यथित होकर उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्टस जरिये सम्मन की गई। मूल रिकार्ड तलब किया गया। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने अपनी लिखित बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की अपीलान्ट के पिता मोहनलाल पुत्र छोटूलाल, जाति सुनार को आवंटन सलाहकार समिति, तहसील टोडारायसिंह द्वारा तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए प्रचलित कृषि भूमि आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत दिनांक 20/05/1965 को आराजी खसरा नम्बर 2134 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कुहाडा बुजुर्ग, तहसील टोडारायसिंह में आवंटित की गई थी। जिस पर अपीलान्ट के पिता आवंटन दिनांक से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। यह कि उपरोक्त भूमि आवंटन के बाबत दिनांक 16.06.1965 को ही 5 रूपये पट्टा फीस भी वसूल की जाकर आवंटन आज्ञा जारी कर दी थी। दिनांक 07.06.1968 को अपीलान्ट के पिता से लगान (माल 9 रूपये 31 पैसे, पंचायत समिति कर 0.47 पैसे एवं सूत के 0.22 पैसे) 10/– रूपये वसूल किये गये थे।

दिनांक 20.07.1970 को कुहाडा बुजुर्ग के जाटान जाति के व्यक्ति श्री रायचन्दा वल्द हरलाल शोकरण, चतुर्भुज, रंगलाल पुत्र रायचन्दा ने जबरन झगडा करते हुए अपीलान्ट के पिता को खेती नहीं करने दी लिहाजा एक दावा हुक्म इम्तनाई दमामी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के समक्षं प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 24.09.1975 को अपीलान्ट के पिता के पक्ष में डिक्री हुआ एवं अप्रार्थी रायचन्दा वल्द हरलाल शोकरण, चतुर्भुज पुत्र रायचन्दा एवं रंगलाल पुत्रान रायचन्दा पि. पु. रामनाथ अकवाम जाटान सा. कुहाडा बुजुर्ग को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए निम्न आदेश पारित किये–''उपर्युक्त विश्लेषण से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि खसरा नं. 2134 ग्राम कुहाडा बुजुर्ग वादी के अलाट शुदा भूमि है और जिस पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा है। अतः इस खसरा नम्बर पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है। कब्जा वादी को वापस दिया जाये। साथ

में प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के कब्जे की उक्त भूमि खसरा नं. 2134 में किसी प्रकार मजाहमत न करें और कोई बाधा नहीं पहुंचायें''।

आराजी खसरा नम्बर 2134 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल भूमि के हाल सैटलमेन्ट में नवीन नम्बर आराजी खसरा नम्बर 507 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41/3074 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 403/3130 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 386 रकबा 1.20 है. में से 0.50 है0 कुल किता 3 रकबा 2.42 हैक्टेयर में कायम हुए। अपीलान्ट के पिता के देहान्त दिनांक 19.02.1998 के बाद प्रतिवादी ने राजस्व वाद संख्या 55/70 रजू दिनांक 21.07.1970 निर्णय दिनांक 24.09.1975 जिसमें अपीलान्ट के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश व डिक्री पारित की हुई थी का ध्यान न रखते हुए अपीलान्ट के पिता को आवंटित भूमि में से विगत खसरा नम्बर 2134 वर्तमान खसरा नम्बर 507 रकबा 1.20 हैक्टेयर भूमि का आवंटन पुनः प्रहलाद पुत्र जगन्नाथ उर्फ मिश्री कौम बलाई, निवासी कुहाडा बुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह को कर दिया जो नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 10/2012 दिनांक 14.05.2012 को प्रस्तुत करने पर उपरोक्त भूमि का आवंटन के उपरान्त उसे निरस्त किये बिना पुनः कोई आवंटन नहीं किया जा सकता। इस तरह अपीलान्ट के पिता को आवंटित भूमि आवंटन के समय से एवं उनके देहान्त के बाद अपीलान्टस के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं।

दिनांक 20.07.1970 से लगातार दिनांक 24.01.2013 तक मुकदमेबाजी चलने के कारण नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 26.04.1968 की जानकारी दिनांक 06.01.2014 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने के आवेदन प्रस्तुत करने एवं दिनांक 09.01.2014 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त होने पर हुई कि अपीलान्ट के पिता को तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के उपरान्त जो भूमि आवंटन हुई थी एवं गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 264 दर्ज किया गया था वो दिनांक 24.04.1968 को खारिज कर दिया। लिहाजा जानकारी दिनांक 09.01.2014 से यह अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर ने अपील संख्या 75/2014 टोंक (2014/00024) उनवान सत्यनारायण व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में अपने निर्णय दिनांक 24.08.2017 में यह आदेश दिया कि '' अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 75/2014 (2014/00024) व उनवानी सत्यनारायण बनाम राज. सरकार को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 06/2014 व उनवान सत्यनाराण बनाम राज. सरकार में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करें''। न्यायालयों द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विपक्षी को समुचित सुनवाई हेतु नोटिस दिये बिना कोई भी निर्णय पारित किया जाता है तो उक्त निर्णय कानूनन सही नहीं है एवं ऐसे निर्णय को निरस्त कराने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 26.04.1968 गैर कानूनी रूप से खारिज किया गया है। खारिज किये गये आदेश को अपास्त किया जाकर गैर खातेदारी का अंकन बहाल रखे जाने के आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट्स स्वीकार की जावे। अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथन की पुष्टि मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये है जो निम्न प्रकार से है–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

क्र. सं. अपील का विवरण एवं निर्णय की तिथि	उनवान एवं न्यायालय का नाम	नजीर का विवरण
1-Second Appeal no. 17/ Bhilwara of 82, decided on 06-10-1983 RRD 1984 page 111-118	Indira Bal Vidya Mandir Vs. State of Raj. Member of Board Revenue, Ajmer	Natural Justice- Opportunity of hearing - Audit alteram partem. There are certain cardinal principles of law which must be followed in every trial. Thus, one must not be condemned without being given a reasonable opportunity to meet the case against him. This cardinal principle which if not observed, leads to failure of justice. The concept of reasonable opportunity has two elements; the first is that an opp. to be heard must be given, the second is that this opp. must be reasonable. AIR 1960 SC 415, AIR 1972 SC 2083, AIR 1957 SC 882, referred. No order involving civil consequences can be passed against any person without affording him with an opp. to be heard before passing an adverse order and this rule of administrative law is imported in the administrative process on account of its universality as held in AIR 1967 SC 1269, AIR 1970 SC and AIR 1978 SC 597. (Paras 20 to 24).
2.Revision No. 68/ Banswara/88, decided on 24-05-1990. RRD 1990, page 479-480.	Goverdhan Singh V. Khatia. Member Board of Revenue, Ajmer	An order which is per se illegal and ab initio voidand ineffective can be challenged at any time.
3- Revision Nos. 5 & 6/	Jagdish & Ors.Vs.	Order void ab initio-Limitation

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Tonk of 89. decided on 21st Jan., 1991. RRD 1991, page 218-220.	Phoolchand & Ors. Member Board of Revenue Ajmer.	does not operate.
4- Appeal No.70/pali/85. decided on 27-09-1993. RRD 1994, page 505-506	Jetha Ram & Ors. V. Tehsildar, Sojat& anr. Member Board of Revenue, Ajmer	An order passed without affording an opportunity of hearing to the affected party cannot be sustained.
5-Revision No. 117/Bikaner/85, decided on 09/11/1993. RRD 1994, page 604-606	Shera Ram V. Mota Ram& Ors. Member Board of Revenue, Ajmer	Limitaion Act, Section 3- Limitation does not apply to orders passed without jurisdiction and the same can be set aside at any time by the Court.
6- Revision No. s 36 & 38/ Kota of 90, decided on 25th Oct. 1993, RRD 1994, page no. 606-607	Girija Bai V. Smt. Nathi Bai & Ors. Meber Board of Revenue, Ajmer	(B) Limitation Act, Section -3- Order ab ignition illegal, void and without jurisdiction passed without notice to affected party cannot be sustained.
7-Revison No. 10 & 136/ Bharatput/87, decided on 21-10-1994. RRD 1995, page 576-577.	Man singh & anr. V. Roopram. Member Board of Revenue, Ajmer.	Limitation- There is no limitation for filling appeal or revision against the orders which are illegal on th basis of principle of natural justice.
8-Revision No. 45/Jaipur of 93, decided on 15th Feb. 1996. RRD 1996, page 457458.	Ganesh v. Radhey Shyam & Ors. Member Board of Revenue, Ajmer.	(B)Limitation Act, Section -3- Limitation does not apply to orders passed without jurisdication and the same can be set aside at any time by any court.
9.अपील / एल. आर / 14 / 2022 / सवाईमाधोपुर निर्णय दिनांक 30.05.05	बाबूलाल बनाम रामचरण न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर	एक बार भूमि आवंटन हो जाने के पश्चात् जब तक वह आवंटन सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता, उसी भूमि को दोबारा आवंटन नहीं किया जा सकता।
10- civil Appeal no. 7167-7168/2014, Arising out of	Gorkha Security Services Vs.	Natural Justice- Show cause- Requirements Material

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

special Leave Petition (Civil) No. 38898-38899 of 2013, decided on 04-08-2014. 2014(s) Supreme 735-749	Gove. of NCT Delhi & Ors. Supreme Court of India.	necessitating action to be stated - And, penalty or action proposed to be taken

राजकीय पेरोकार ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि विवादित आवंटित भूमि पर अलॉटी का कब्जा न होकर किसी अन्य का कब्जा है तो भी गैर खातेदारी के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। तथाकथित प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा विवादित भूमि उनके नाम होने का उल्लेख तो किया गया है,परन्तु कब्जा दूसरे लोगों का होना बताया है,जिसके संबंध में अपीलान्ट ने अपने अपील के पैरा नं. 3 में स्वयं यह लिखा है कि उसने एक दावा हुक्म इम्तनाई दमामी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा में प्रस्तुत किया था जो 24.09. 1975 को अपीलांट के पक्ष में डिक्री किया गया था,परन्तु इस दावे में भी प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा माना गया था और उसमें वादी को कब्जा वापिस दिलाये जाने का आदेश दिया था। जिससे ये स्वयं साबित है कि विवादित (अलॉटेड) भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं था। जिसकी वजह से कानूनन अपीलांट को गैर खातेदारी से खातेदारी हक नहीं दिया जा सकता। इसी तथ्य का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2020 मे भी अंकित किया है कि मौके पर अपीलांट्स का बरूए रिपार्ट पटवारी/ गिरदावर मौके पर कब्जा होना नहीं पाया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शीट को मौजूदा शीट से सुपरइम्पोज करने पर भी साबिक व हाल नम्बरों का मिलान नहीं होता है और हाल रिकार्ड में चूंकि विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता, सिवायचक एवं अन्य लोगों की खातेदारी एवं गैर खातेदारी में दर्ज है,जिसको विधिवत रूप से रिकार्ड से हटाए जाये बगैर अपीलांट के नाम विवादित भूमि का खातेदारी या गैर खातेदारी का अंकन नहीं किया जा सकता। सेटलमेन्ट के दौरान अगर किसी पूर्व खातेदार की भूमि जिसका वो खातेदार या गैर खातेदार हो और उसे सिवायचक दर्ज कर दी गई हो तो पीडित पक्ष को इस संबंध में सक्षम न्यायालय में विधिवत रूप से सेटलमेन्ट की गलती को दुरूस्त करवाने के लिए नियमानुसार दावा करना चाहिए। अतः अपील अपीलांट्स को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एंव पेरोकार सरकार की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया। तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा अपीलांट का कब्जा काश्त साबित नही होने तथा मिलान क्षेत्रफल एंव गत व हाल नक्शा शीटो के सुपरइम्पोज करने से साबिक व हाल नम्बरो मे मिलान नही होता है। अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलान्ट के पिता मोहनलाल पुत्र छोटूलाल, जाति सुनार को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए दिनांक 20/05/1965 को आराजी खसरा नम्बर 2134 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कुहाडा बुजुर्ग, तहसील टोडारायसिंह में आवंटित की गई थी। आराजी खसरा नम्बर 2134 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि के सैटलमेन्ट के बादं नवीन खसरा नम्बर 507 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 404/3074 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 403/3130 रकबा 0.17

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

है0, खसरा नम्बर 386 रकबा 1.20 है. में से 0.50 है0 कुल किता 3 रकबा 2.42 हैक्टेयर में कायम हुए है। अपीलान्ट ने उनके पिता को आवंटित भूमि आवंटन के समय से एवं उनके देहान्त के बाद अपीलान्टस के कब्जे काश्त में होना बताया हैं। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 11.12.2020 निरस्त किया जाता है एंव प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट को आवटित भूमि का मौका निरीक्षण व जॉच कर तथा अपीलान्ट से भूमि पर कब्जे सम्बन्धी दस्तावेज पेश करने का अवसर देते हुए पुनः विधिवत रूप से कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 28–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक